2421 (E)
27/3/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 27/03/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत Construction Work of Chapra-Marhaura Road to NH-102 Raipura Via Hassanpura, Husepur, Devi Sthan, Mund, Tarwar, Basdih Road in Km. 0.00 to 18.400 for the year 2018-19 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Construction Work of Chapra-Marhaura Road to NH-102 Raipura Via Hassanpura, Husepur, Devi Sthan, Mund, Tarwar, Basdih Road in Km. 0.00 to 18.400 for the year 2018-19
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, छपरा।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹4298.26 लाख। विभागीय पत्रांक–6613(एस०), दिनांक 28.08.2018
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹4438.48 लाख। मु०अभि०, के०नि०सं० का पत्रांक–20(अनु0), दिनांक 08.01.2019
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹4449.29347 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	21 Months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	05.02.2019

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित दो संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Aarpee Infraprojects Pvt. Ltd. (2) M/s Maruti Enterprises.

4. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1030अनु0 दिनांक–18.03.2019 द्वारा समर्पित दिनांक–18.03.2019 को आहुत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है :–

5. विभागीय ज्ञापांक–1647(E) दिनांक–25.02.2019 द्वारा संसूचित दिनांक–25.02.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णय के विरूद्ध असफल निविदाकार M/s Maruti Enterprises के पत्रांक–ME/HJP/196/2018-19 दिनांक–27.02.2019 द्वारा आवेदन/परिवाद समर्पित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है :–

27.3.19

5.1 "विषयांकित कार्य के निविदाकार M/s Maruti Enterprises के द्वारा निविदा कागजात के साथ जो निविदाकार Programme of Construction से संबंधित कागजात संलग्न किये है वह सादा है। इस प्रकार ये ITB-Cl 4.3(I) & 4.5 (B) (a) में निर्धारित अर्हत्ता को पूरा नहीं करते है।"

इस संदर्भ में यह कहना है कि निविदा के साथ वर्क्स प्रोग्राम में संवेदक जिस तिथि से अपना वर्क्स प्रोग्राम देते है वह कार्यादेश निर्गत करने के बाद कोई काम का नहीं रहता है। इसीलिए विभाग द्वारा संवेदकों से एकरारनामा के समय वर्क्स प्रोग्राम माँगा जाता है जो एकरारनामा का पार्ट होता है। जैसा कि मुझसे अन्य कार्य में माँगा गया था जिसकी प्रति मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ जिसके पारा 12 के आलोक में मुझसे वर्क्स प्रोग्राम माँगा गया था और मैंने दिया था।

इस संदर्भ में मुझे पुनः कहना है विभाग ने यह स्वीकार किया है कि मैने अपने निविदा के साथ वर्क्स प्रोग्राम दिया है जो सादा है और केवल इसी को आधार बनाकर मेरी तकनीकी बीड को रद्द कर दिया गया है जो किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि जो वर्क्स प्रोग्राम मैंने अपनी निविदा के साथ दिया था उसे मैने अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 तक के लिए दिया था लेकिन कौन से मद का कार्य मैं किस माह तक करूँगा यह मानवीय भूलवश टिक ( ) नहीं कर सका जिसके लिए कहा गया कि वह सादा है। वर्णित वर्क्स प्रोग्राम की फोटो प्रति मैं इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

इस संदर्भ में पुनः कहना है कि वर्णित वर्क्स प्रोग्राम जो अप्रैल 2019 से बना हुआ है उसका आज की तिथि में कोई औचित्य नहीं रह गया था क्योंकि वर्णित चार्ट को देखने से स्वतः है कि Mile Stone/Works Programme की गणना from date of Start से होती है ऐसी परिस्थिति में वर्क्स प्रोग्राम सही नहीं होने की वजह से निविदा को रद्द करने का निर्णय किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है तथा इस मामले में ITB-Cl 4.3(I) & 4.5 (B) (a) को Mandatory नहीं माना जाना चाहिए।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर विचारोपरान्त मुझे तकनीकी बीड में सफल घोषित करते हुए निविदा आवंटन की दिशा में नियमानुकुल कार्रवाई करने की कृपा की जाय इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा।

6. **समीक्षा** :– दिनांक–18.03.2019 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त आवेदन/परिवाद की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निविदाकार M/s Maruti Enterprises के द्वारा निविदा कागजात के साथ Programme of Construction से संबंधी जो प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है उसमें कार्य का नाम में विषयांकित कार्य का नाम "Construction work of Chapra-Marhaura rod to NH-102 Raipura via Hasanpura, Husepur, Devi Sthan, Mund, Tarwar, basdih Road in Km. 0.00 to 18.40 for the year 2018-19" अंकित है। NIT/Technical Sheet के अनुसार Programme of Construction से संबंधित Barchart में वांछित 21 माह का ही Column बनाया गया है तथा मद का नाम पथ निर्माण कार्य से ही संबंधित है। किन्तु विभिन्न मदों का माह वार निविदाकार द्वारा रेखांकित नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि Programme of construction विभागीय पत्रांक–6158(S)we दिनांक–09.07.2014 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में कंडिका 5.2 के अनुसार द्वितीय प्रक्रम में है। उक्त के अनुससार निविदाकार को Clarification & Modification का अवसर दिया जाना है। जिसके आलोक में निविदाकार M/s Maruti Enterprises के पत्रांक–ME/HJP/208/2018-19 दिनांक 12.03.2019 द्वारा संशोधित work Programme समर्पित किया गया है।

6.1. **निष्कर्ष** :– समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त M/s Maruti Enterprises के आवेदन/परिवाद को मान्य मानते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु संशोधित अनुशंसा की जाती है।

7. **CWJC No.- 4784 of 2019 M/s Maruti Enterprises** बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–13.03.2019 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है –

Taking note of the aforesaid submission on behalf of the State, this Court would direct the competent authority i.e. the Tender Committee presided by the Principal Secretary of the Department to look into the objection of the petitioner, as contained in Annexure-P-9, with an independent and fresh mind without being prejudiced by the fact that the Committee has rejected the technical bid of the petitioner.

Let and exercise be taken and a final decision be taken in this regard within a period of thirty days from the date of receipt/production of copy of this order. The reasoned decision shall be duly communicated to the petitioner.

The writ application stands disposed off accordingly.

8. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णयः</u>

8.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या–1030(अनु0) दिनांक–18.03.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं **CWJC No.- 4784 of 2019 M/s Maruti Enterprises** बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित कार्य में निविदाकार **M/s Maruti Enterprises** के द्वारा दिये गये परिवाद को मान्य करते हुए तकनीकी बीड में उन्हें सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

8.2 विभागीय ज्ञापांक–1647(E) दिनांक–25.02.2019 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8.3 **Model code of Conduct** की समाप्ति अथवा चुनाव आयोग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ उपस्थापित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को दिया गया।

8.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

27/03/19	27/03/19	27/3/19	27.3.19
(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रजनीश कुमार) उप सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र0–7 / निविदा–03–121 / 2019 2421 (E) पटना, दिनांक 27/3/19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/3/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।